

अवमानना याचिका संख्या – 14/2024

अन्तर्गत

अपील संख्या – 3253/2023

किशोर कुमार

–प्रार्थी–अपीलार्थी

बनाम

श्री भास्कर ए. सांवत, प्रमुख शासन सचिव, ऊर्जा विभाग, शासन सचिवालय,
जयपुर एवं अन्य

–अप्रार्थीगण–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 03.09.2024

उपस्थित –

प्रार्थी–अपीलार्थी की ओर से : श्री दिलीप सिंह कुरका, अभिभाषक

अप्रार्थी–प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री सर्वेश जैन, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :- शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्यआदेश

प्रार्थी–अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा एस.बी. सिविल रिट पीटिशन संख्या 7592/2022 में पारित निर्णय दिनांक 23.05.2024 के आधार पर हस्तगत अवमानना याचिका अधिकरण के क्षेत्राधिकार से बाहर होने के कारण सक्षम न्यायालय के समक्ष नई अवमानना/याचिका प्रस्तुत करने की छूट के साथ अवमानना याचिका वापस (Withdraw) लेने का निवेदन किया।

अप्रार्थी–प्रत्यर्थी विभाग को कोई एतराज नहीं है।

अतः निवेदन स्वीकार किया जाता है। सक्षम न्यायालय के समक्ष नया वाद/अवमानना/याचिका प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता प्रदान करते हुए अवमानना याचिका (As Withdrawn) खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य(शुचि शर्मा)
सदस्य